न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 12/2016

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
चन्द्रवीरसिंह भाटी पटवारी गडरा रोड,तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) बाडमेर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश क्रमांक प.14 (88) (1) भू0अ0/2015/2947 दिनांक 8.6.2016 बाबत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, गडरा रोड उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30 जुलाई, 2019

अपीलान्ट के द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2016 के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट को एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपने अब तक के राजकीय सेवाकाल में सभी कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से उच्चाधिकारियों के निर्देशों तथा दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित किये है। अपीलान्ट को पूर्व में किसी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया।

अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि वह वर्तमान में तहसील गडरारोड के पटवार हल्का गडरा रोड में पटवारी के पद पर कार्यरत है। इस अवधि के दौरान जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर की ओर से उनके पत्रांक प.14 (88) (1) भू0अ0/2015/4327 दिनांक 2.9.2015 के द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत अपीलान्ट पर आरोप आरोपित किया कि उसके द्वारा ग्राम गडरारोड के खसरा संख्या 398/2 रकबा 18.05 बीघा राजकीय भूमि पर नारायणराम पुत्र तेजुराम के द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने एवं मौके पर से कब्जा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जिस पर दिनांक 3.12.2015 को अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित अपने प्रत्युतर में बताया कि उसका पदास्थापन्न पटवार मण्डल गडरारोड में दिनांक 1.11.2014 से हुआ है और ग्राम गडरारोड उक्त रकबा 18.05 बीघा भूमि की राजकीय भूमि पर नारायणराम पुत्र तेजुराम के द्वारा किये गये अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 11/2013 वर्ष 2013 में दर्ज होकर लम्बित चला आ रहा था, जिस पर तहसीलदार न्यायालय गडरारोड द्वारा दिनांक 7.11.2013 को निर्णय दिया चुका था। ऐसे में दिनांक 7.11.2013 के समय पदस्थापित तत्कालीन पटवारी का दायित्व था कि वे उक्त आदेशों की पालना में अतिक्रमी के अतिक्रमण को हटाते। फिर भी अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमण की जानकारी तहसील कार्यालय से मिलने पर उसके द्वारा दिनांक 09.9.2015 को ही अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तथा कार्यवाही की पालना रिपोर्ट तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर दी थी।

अपीलान्ट ने यह निवेदन किया अपीलान्ट के उक्त जबाव पर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा तहसीलदार गडरारोड से टिप्पणी चाही गई जिस पर तहसीलदार गडरारोड ने पत्र दिनांक 5.2.2016 के द्वारा यह टिप्पणी अग्रेषित की कि अपीलान्ट पटवारी के द्वारा अतिक्रमण पर दर्ज प्रकरण संख्या 11/2013 में पारित निर्णय दिनांक 7.11.2013 की इजराय की पालना समय पर न कर दिनांक 9.9.2015 को की गई है। जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा तहसीलदार महोदय की उक्त टिप्पणी के आधार पर अपीलान्ट को प्रकरण में दोषी मानते हुए आदेश दिनांक 8.6.2016 के

द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई जो उचित नहीं है क्योंकि 91 के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 7.11.2013 एवं अपीलान्ट के पदस्थापन दिनांक 1.11.2014 में एक वर्ष का अन्तराल है, ऐसे में निर्णय की पालना सम्पादित नहीं करने का दोषी व्यक्ति तत्कालीन पटवारी ही थे जिनके द्वारा एक वर्ष तक इस बाबत कुछ नहीं किया और न ही भौतिक रूप से अतिक्रमी के द्वारा किये गये कब्जे का हटाया।

अपीलान्ट नें यह निवेदन किया जिला कलेक्टर की ओर से जारी आरोप पत्र का प्रत्युतर प्रस्तुत उसे अस्वीकार किया था क्योंकि आरोप पत्र में वर्णित ग्राम गडरारोड के खसरा संख्या 398/2 रकबा 18.05 बीघा राजकीय भूमि पर नारायणराम पुत्र तेजुराम के द्वारा किये गये अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 11/2013 वर्ष 2013 में दर्ज होकर लम्बित चला आ रहा था जिसका तहसीलदार न्यायालय गडरारोड द्वारा दिनांक 7.11.2013 को ही निर्णित किया चुका था। ऐसे में उक्त निर्णय की पालना एवं इजराय तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा सम्पादित की जानी चाहिये थी एवं तत्कालीन पटवारी हल्का का यह कर्तव्य व दायित्व था कि वे उक्त राजकीय खसरा भूमि पर हुए अतिक्रमण को उक्त निर्णय की पालना में हटाने की कार्यवाही करते।

अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के चार्ज लेते समय भी तत्कालीन पटवारी के द्वारा उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही सम्बन्धी अवगत नहीं कराया था। ऐसे में उनके द्वारा तहसीलदार न्यायालय के दिनांक 7.11.2013 को निर्णित किये जा चुके अतिक्रमण के प्रकरण एवं उसकी पालना न हो पाने सम्बन्धी तथ्यों का किस प्रकार से ध्यान में ला सकता था। निर्णय दिनांक 7.11.2013 की इजराय पत्रावली नहीं खोले जाने पर एवं अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाना था, अपीलान्ट के द्वारा तो तत्काल इजराय पत्रावली खोली एवं दिनांक 09.9.2015 को ही अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तथा कार्यवाही की पालना रिपोर्ट तहसीलदार महोदय

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

को प्रस्तुत कर दी थी, इस प्रकार मुझ अपीलान्ट को अतिक्रमण नहीं हटाये जाने का दोषी मान लेना तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का दोषी मान लिया जाना काननून न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा जब तहसील गडरारोड का निरीक्षण किया था तब उनके समक्ष उक्त राजकीय खसररा भूमि पर हुए अतिक्रमण के तथ्य ध्यान में लाये गये तो उनके द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के निर्देश तहसीलदार गडरारोड को दिये गये थे जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को इस आशय की पालना करने हेतु अपीलान्ट को निर्देशित किया तब दिनांक 09.9.2015 को ही अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तथा कार्यवाही की पालना रिपोर्ट तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर दी थी, तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही समय पर सम्पादित नहीं किये जाने पर अपीलान्ट को इस हेतु दोषी मान दण्डित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता हैं।

अपीलान्ट ने अन्त में यह निवेदन किया कि उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के कार्य को सम्पादित नहीं करने में कहीं से दोषी होना प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट को दोहरी हानि यानि आर्थिक एवं पदौन्नति सम्बन्धी हानि उठानी पडेगी तथा उसे पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभों से भी वंचित होना पडेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश 8.6.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा प्रेषित की गई टिप्पणी व विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट पर आरोपित आरोप में वर्णित तथ्य कि ग्राम गडरारोड के ख0सं0 398/52 रकबा 18.05 बीघा राजकीय भूमि पर नारायणराम पुत्र तेजुराम के द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण सख्या 11/2013 में निर्णय दिनांक 7.11.2013 की इजराय पालना समय पर न करने का उल्लेख

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर